

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2980] No. 2980] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 17, 2016/अग्रहायण 26, 1938

NEW DELHI, SATURDAY DECEMBER 17, 2016/AGRAHAYANA 26, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4086(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसुचना के पैरा 2 में,—

(क) खंड (iii) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु 5,000/- रुपए तक की रकम ऐसे खाते में सीधे जमा की जाएगी और शेष रकम, यदि कोई हो, ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जो भारतीय रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे :

परंतु यह और कि 5,000/- रुपए से अधिक रकम को, 30 दिसंबर, 2016 तक प्रत्येक खाते में केवल एक बार जमा किया जाएगा;";

(ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण संबंधी कराधान और विनिधान योजना, 2016 के अधीन संदाय और जमा किए जाने के लिए दिए जाने वाले विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की मात्रा या मुल्य पर कोई सीमा नहीं होगी ;";

(ग) खंड (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(x) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा 10 नवंबर से 14 नवंबर, 2016 के बीच संग्रहित विनिर्दिष्ट बैंक नोट भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अधीन जमा होंगे और व्यष्टिक ग्राहकों या प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों द्वारा जमा किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों की उक्त व्यष्टिक या प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटियों के सदस्यों के अपने ग्राहक को जानिए दस्तावेजों की सत्यता की संपूर्ण संपरीक्षा जांच राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संचालित की जाएगी:

परंतु जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की लिंक मुद्रा चेस्ट केवल सत्यापित विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के विनिमय मूल्य को, जाली भारतीय मुद्रा नोटों की पहचान से संबंधित प्रायिक जांच के अधीन रहते हुए, प्रदान करेगी ।"।

[फा. सं. 10/03/2016-सीवाई.I]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

5806 GI/2016 (1)

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3407(अ), तारीख 8 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसको अधिसूचना सं. का.आ. 3418(अ), तारीख 9 नवंबर, 2016 द्वारा सही किया गया था और का.आ. 3446(अ), तारीख 13 नवंबर, 2016, का.आ. 3449(अ), तारीख 14 नवंबर, 2016, का.आ. 3479(अ), तारीख 17 नवंबर, 2016, का.आ. 3488(अ), तारीख 18 नवंबर, 2016, का.आ. 3543(अ), तारीख 24 नवंबर, 2016 और का.आ. 3599(अ), तारीख 30 नवंबर, 2016 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2016

S.O. 4086(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E), dated the 8th November, 2016, namely:—

In the said notification, in paragraph 2,—

(a) in clause (iii), the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that the deposit upto the amount of Rs.5000/- shall be made directly into such account and the rest of the amount, if any, shall be subject to such conditions as the Reserve Bank of India may specify:

Provided further that the deposit of an amount exceeding Rs.5000 shall be made only once per account until 30th December, 2016;";

(b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—

"(iiia) there shall not be any limit on the quantity or value of the specified bank notes that are tendered for payment and deposit made under the Taxation and Investment Regime for the *Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana*, 2016;";

(c) after clause (ix), the following clause shall be inserted, namely:—

"(x) deposit of specified bank notes collected between 10th day of November to 14th day of November, 2016, by the District Co-operative Central Bank shall be subject to instructions of the Reserve Bank of India and for the specified bank notes deposited by individual customers or by the Primary Agricultural Credit Societies complete audit check of the veracity of the Know Your Customer documents of the said individual or the members of the said Primary Agricultural Credit Societies shall be conducted by the National Bank for Agriculture and Rural Development:

Provided that the linked currency chest to District Co-operative Central Banks shall give the exchange value for verified specified bank notes only and subject to usual checks relating to identification of fake Indian currency notes.".

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3407(E), dated the 8th November, 2016 and subsequently corrected *vide* notification number S.O. 3418(E), dated the 9th November, 2016 and amended *vide* S.O. 3446(E), dated the 13th November, 2016, S.O. 3449(E), dated the 14th November, 2016, S.O. 3479(E), dated the 17th November, 2016, S.O. 3488(E), dated the 18th November, 2016, S.O. 3543(E), dated the 24th November, 2016 and S.O. 3599(E), dated the 30th November, 2016.